"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2007— अग्रहायण 30, शक 1929

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2007

क्रमांक ई-7/26/2004/1/2.—श्री आर. पी. मण्डल, भा. प्र. से., विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 22-12-2007 से 28-12-2007 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-12-2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मण्डल आगामी आदेश तक विकास आयुक्त-सह-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश काल में श्री मण्डल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मण्डल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 नवम्बर 2007

क्रमाक 981/ 911/2007/1-8/स्था.— श्री क्षेत्र सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 12-11-2007 से 16-11-2007 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. इनके अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री विजय कुमार सिंह, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री क्षेत्र सिंह को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्षेत्र सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जेवियर तिग्गा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक 1011/933/2007/1-8/स्था. — डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, संस्कृति विभाग को दिनांक 16-11-2007 से 23-11-2007 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. सुरेन्द्र दुबे, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, संस्कृति विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. दुबे अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, संस्कृति विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक 1013/927/2007/1-8/स्था. — श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 2-11-2007 से 6-11-2007 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री साकी अवकाश पर नहीं जाते तो, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

क्रमांक 1015/469/2007/1-8/स्था.— श्री संजय गोंड (सहा. आयुक्त) उप-संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय को दिनांक 26-5-2007 से 15-6-2007 तक 21 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 16 एवं 17-6-2007 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री संजय गोंड (सहा. आयुक्त) उप-संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि संजय गोंड अवकाश पर नहीं जाते तो उप-संचालक, आदिमजाति विकास, वित्तीय प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़ मंत्रालय के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक 10293/डी-4450/21-ब/छ. ग. /2007.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इस संबंध में पूर्व में जारी सभी आदेशों को अतिष्ठित करते हुए महाधिवक्ता कार्यालय से भिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में नियुक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, पैनल लायर्स के लिए दिनांक 6-12-07 से पारिश्रमिक का निम्न दर निश्चित करता है.

1.	शासकीय अभिभाषक एवं लोक अभियोजक	(क)	250/- (रु. दो सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए,
		(ख)	500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए, अधिकतम रु. 10,000/- (रु. दस हजार) प्रतिमाह.
	(ब) अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक	(क)	250/- (रु. दो सौ पचास) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
		(ख)	500/- (रु. पांच सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए, अधिकतम रु. 9,000/- (रु. नौ हजार) प्रतिमाह.
	(स) शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक/ अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक रिटेनर फीस		रु. 2000/- (दो हजार) प्रतिमाह

2. शासकीय अभिभाषक/ पैनल लायर्स जो शासकीय कार्य हेतु शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं :-

(1)	आपराधिक प्रकरणों में सत्र प्रकरणों/फौजदारी अपील	(क)	रु. 200/- (रु. दो सौ) प्रतिदिन एक घंटे से कम कार्य करने के लिए.
	पुनरीक्षण (सत्र न्यायालयों में)	(ख)	रु. 400/- (रु. चार सौ) प्रतिदिन एक घंटे से अधिक कार्य करने के लिए.
(2)	सत्र न्यायालयों में अकिंचन अभियुक्तों का पक्ष समर्थन हेतु शुल्क		रु. 400/- (रु. चार सौ) प्रति प्रभावी तिथि अधिकतम रु. 3000/- (रु. तीन हजार) प्रति प्रकरण अंतिम निर्णय होने पर.

निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रकरणों में न्यायालयीन कार्यवाही न होने की स्थिति में किसी भी प्रकार की फीस का भुगतान देय नहीं होगा :-

(1) नियत तिथि को अचानक न्यायालयीन कार्यवाही स्थगित होने पर,

(2) किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कारण से प्रकरणों की तिथि स्थगित किये जाने हेतु दिये गये आवेदन पत्र पर.

(3) अभियुक्त/गवाह के अनुपस्थिति होने के कारण.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-29- न्याय प्रशासन-2014-न्याय प्रशासन (114) कानूनी सलाहकार और परामर्शदाता-3572/ मुफस्सिल स्थापना-010- व्यवसायिक और विशेष सेवाओं के लिए अदायगियां-006 अभिभाषको के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

यह स्वीकृति आदेश वित्त विभाग के यू. ओ. क्र. 657/17222 वित्त विभाग/ब-3/200 दिनांक 03-12-07 द्वारा महालेखाकार, छ. ग. रायपुर को पृष्ठांकित किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2007

क्रमांक 9994/डी-4291/21-ब/छ. ग. /2007.—इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9919/डी-4223/21-ब/छ. ग./07 दिनांक 23-11-2007 को अतिष्ठित करते हुए तथा छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की सिफारिश पर नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानों पर "फास्ट ट्रेक कोर्ट्स" का गठन तथा स्थापना करती है जो संबंधित पीठासीन अधिकारी के उक्त स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी :-

अनु. क्र. (1)	जिले का नाम (2)	स्थान का नाम (3)	फास्ट ट्रेक कोर्ट की संख्या (4)
1.	जगदलपुर	कोंडागांव	1
2.	कांकेर	भानुप्रतापपुर	1
3.	बिलासपुर	बिलासपुर	2
		मुंगेली	1
		पेंड्रारोड	1
4.	जांजगीर	जांजगीर	1

(1)	(2)	(3)	(4)
5.	कोरबा	कोरबा	1
6.	दुर्ग	दुर्ग	5
		बालोद	1
		बेमेतरा	1
7.	रायगढ़	रायगढ़	2
8.	रायपुर	रायपुर	6
9.	धमतरी	धमतरी	1
10.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	1
11.	सरगुजा (अंबिकापुर)	अंबिकापुर	1
		सूरजपुर	1
		प्रतापपुर	1
		रामानुजगंज	2
12.	कोरिया (बैंकुठपुर)	मनेन्द्रगढ़	1
		योग	**31**

No.9994/D-4291/21-B/C.G./2007.— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958) and in supersession of the Notification No. 9919/D-4223/21-B/C.G./2007, Raipur, dated 23-11-2007 of this department, the State Government, on the recommendation of the High Court of Chhattisgarh, hereby constitutes and establishes "Fast Track Courts" specified in Schedule below with effect from the date of the Presiding Judge take over charge at these places :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Place (3)	No. of Fast Track Courts (4)
1.	Jagdalpur	Kondagaon	1
2.	Kanker	Bhanupratappur	1
3.	Bilaspur	Bilaspur	2
		Mungeli	1
		Pendra Road	1
4.	Janjgir	Janjgir	1
5.	Korba	Korba	1
6.	Durg	Durg	5
		Balod	1
		Bametra	1
7.	Raigarh	Raigarh	2

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	Raipur	Raipur	6
9.	Dhamtari	Dhamtari	1
10.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	1
11.	Sarguja (Ambikapur)	Ambikapur	1
		Surajpur	1
		Pratappur	1
		Ramanujganj	2
12.	Koriya (Baikunthpur)	Manendragarh	1
		Total	**31**

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2007

क्रमांक 544/13/ऊ. वि. /2007.—राज्य शासन, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम 1948 (1948 का अधिनियम सं. 54) की धारा 5 के अन्तर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 (2003 का अधिनियम सं. 36) की धारा 172 (अ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, भारत सरकार से प्राप्त सहमति के अनुसार, विद्युत अधिनियम 2003 के संगत प्रावधानों के अनुसार राज्य पारेषण यूटिलिटी एवं अनुप्तिधारी के रूप में अपेक्षित कृत्यों को 9 दिसम्बर, 2007 की अवधि से आगामी 29-02-2008 तक निर्वहन हेतु अधिकृत करती है.

यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 546/प्रस./ऊर्जा /2007.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत है. इस स्थिति के प्रकाश में, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विमल कुमार जैन, मुख्य अभियंता, छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को सदस्य (पारेषण एवं वितरण) आगामी एक वर्ष अथवा छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन तक जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

रायपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

क्रमांक 548/प्रस./ऊर्जा/2007.—छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 के प्रभावशील हो जाने के बाद भी इस अधिनियम की धारा 172 के प्रावधान अनुसार अंकित अवधि तक विद्युत प्रदाय अधिनियम 1948 के अंतर्गत गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल कार्यरत है. इस स्थिति के प्रकाश में, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एम. बी. मेंढेकर, मुख्य अभियंता (उत्पादन), छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल को सदस्य (उत्पादन परियोजना) आगामी एक वर्ष अथवा छ. ग. राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन तक जो भी पहले हो, नियुक्त करता है. नियुक्ति की सेवा शर्तें पृथक से जारी की जायेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढांड, प्रमुख सचिव.

महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 1-65/2007/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1995 की धारा 3 की उपधारा (2) एवं सहपठित धारा 4 के अंतर्गत निहित प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के सदस्य के रूप में नाम निर्देशित करता है :-

1. श्रीमती हेमलता साहू, (अन्य पिछड़ा वर्ग) सामाजिक कार्यकर्ता
2. श्रीमती रीता आईच, (सामान्य) सामाजिक कार्यकर्ता
3. सुश्री श्याम कंवर, (अ. ज. जा.), अधिवक्ता

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. देवांगन, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक एफ.1-18/04/25-1/आजाक.—राज्य शासन एतद्द्वारा बुक ऑफ फाइनेंशियल पावर्स, 1995 भाग-1 के सेक्शन-1 के सरल क्रमांक-1 के अंतर्गत वित्त विभाग की सहमति पश्चात् संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर को विभागाध्यक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वाय. एस. बेले, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक/10445/2007/25-3/आजाक.—विभाग के आदेश क्रमांक/डी-4276/स्था/2003/आजावि दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग की पद संरचना निम्नानुसार स्वीकृत की गई थी.

अनु. क्र.	पदनाम	पद संख्या	मान्य वेतनमान	टिप्पणी
1.	सचिव	01	संवर्ग	वेतनमान 8000-10500 से अधिक नहीं
2.	अनुसंधान अधिकारी	01	6500-10500	-
3.	विशेष सहायक	01	संवर्ग	अध्यक्ष के लिए 5000-8000 से अधिक नहीं
4.	निज सहायक	03	संवर्ग	सदस्य के लिए
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	3050-5200	-
6.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	02	4000-6000	-
7.	सहायक ग्रेड-3	02	3050-4590	-
8.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	4000-6000	-
9.	दफ्तरी	01	जिलाध्यक्ष दर पर	-
10.	भृत्य/चौकीदार	05	जिलाध्यक्ष दर पर	-

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त पद संरचना में अनुक्रमांक 2 एवं 3 के पदों का पदनाम तथा अनुक्रमांक 1 से 6 का वेतनमान संशोधित करता है :-

अनु. क्र.	पदनाम	पद संख्या	मान्य वेतनमान	टिप्पणी
1.	सचिव	01	8000-13500	-
2.	सहायक अनुसंधान अधिकारी	01	8000-13500	-
3.	निज सहायक	01	6500-10500	अध्यक्ष के लिए
4.	निज सहायक	03	5500-9000	सदस्यों के लिए
5.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	3500-5200	-
6.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	01	4500-7000	-

3. शेष पद आदेश दिनांक 4 सितम्बर, 2003 द्वारा स्वीकृत अनुसार रहेंगे.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. नं. 647/1756/वित्त विभाग/ब-3/200 दिनांक 22-11-07 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक /10556/25-1/आजावि/2007 .—राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995 अध्याय-2 की कण्डिका-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री ध्यान सिंह पोर्ते, ग्राम धोभर, ब्लाक-मरवाही, बिलासपुर को छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का सदस्य नियुक्त करता है.

2. इनका कार्यकाल तीन वर्ष होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 8-11/2007/11/6 .— इंडियन बॉयलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34(2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा भारत एल्यूमीनियम कंपनी लिमि. पावर प्लांट-2, कोरबा के बॉयलर क्रमांक-एम. पी./3695 को दिनांक 16-11-2007 से 31-5-2008 तक निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :-

1. संदर्भाधीन बॉयलर को पहुँचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बॉयलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

2. उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बॉयलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

3. संदर्भाधीन बॉयलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

4. नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

5. छत्तीसगढ़ बॉयलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बॉयलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

6. यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता हैं अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक एफ 6-66/2007/वाक/पांच .—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2005 तथा साक्षात्कार के परिणाम स्वरूप वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यसूची में अनुशंसित निम्नांकित उम्मीदवारों को, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 8,000-275-13,500 में नियुक्त किया जाता है तथा उनकी पदस्थापना अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में दर्शाये जिले में की जाती है :-

स. क्र.	लोक सेवा आयोग की चयन सूची का सरल क्रमांक एवं चयनित वर्ग	अभ्यर्थी का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन प्राप्त करेंगे
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1. (अनारक्षित)	श्री अजय कुमार अग्रवाल, आत्मज श्री गंगाधर अग्रवाल, एम. जी. रोड, बाजार वार्ड, महासमुंद जिला- महासमुंद (छ. ग.) पिन कोड 493445	कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
2.	2. (अनारक्षित)	श्री दीपक गिरि, आत्मज श्री जनार्दन गिरि, C/o डॉ. नरेन्द्र पर्वत, ग्राम+पोस्ट-बोईरदादर, जिला-रायगढ़ (छ. ग.) पिन कोड 496001	कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-5, रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
3.	4. (अनारक्षित)	श्री नरेन्द्र कुमार वर्मा, आत्मज श्री लखन लाल वर्मा, कन्या शाला के पास, विक्रम चौक, अभनपुर (बस्ती), जिला-रायपुर (छ. ग.) पिन कोड 493661	कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी, राजनांदगांव वृत्त.
4.	5. (अनारक्षित)	सुनीता सिंह, आत्मजा स्व. श्री सूर्यभान सिंह, C/o एस. के. सिंह, DUP-9, बाबजी पार्क, रिंग रोड-2, बिलासपुर (छ. ग.) पिन कोड 495001	कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-2, रायपुर.
5.	6. (अपिव)	श्रीमती गुलापा पुरसेठ, पत्नी श्री एफ. के. पुरसेठ, C/o श्री एम. आर. साहू, लक्की प्रोविजन स्टोर्स, धमतरी रोड, देवपुरी जिला-रायपुर (छ. ग.) पिन कोड 496661	कार्यालय, वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3, दुर्ग.
6.	7. (अजा)	श्री मुकेश कुमार त्यागी, आत्मज श्री राम प्रकाश त्यागी, C/o श्री बी. के. त्यागी (शिक्षक), भोला चाल, तिलक नगर, कटघोरा, जिला-कोरबा (छ. ग.) पिन कोड 495445	कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, रायपुर.
7.	8. (अजा)	लता जलहरे, आत्मजा श्री लालदास जलहरे, C/o श्री आर. आर. महिलांगे, वैष्णव कालोनी, सिविल लाईन, बलौदा बाजार, जिला-रायपुर (छ. ग.) पिन कोड 493332	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-1, दुर्ग.
8.	9. (अजजा)	जोसिता तिग्गा, आत्मजा श्री फ्रासिंस तिग्गा, बिशप हाऊस के पास, पोस्टल पारा, पोस्ट-कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ. ग.) पिन कोड 496225	कार्यालय संभागीय उपायुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर.
9.	10. (अजजा)	श्री महेन्द्र कुमार धनेलिया, आत्मज श्री हरिश्चन्द्र धनेलिया, ग्राम-कर्रामाड़, पोस्ट-दुर्गूकोंदल, तहसील भानुप्रतापपुर, उत्तर बस्तर कांकेर (छ. ग.) पिन कोड 494669	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-3, रायपुर.

2. उपरोक्त परीवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाले परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के अगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहित विभागीय परिक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ विक्रय कर सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत शासित होंगे.

6. उपरोक्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यार्थीगण जिला "मेडिकल बोर्ड" से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करेंगे. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में, अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व, वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष जाति, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संबंधित कार्यालय के निर्धारित प्रारूप में इस आशय का एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना आवश्यक होगा कि, वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दिशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई संशोधित चयन सूची के अनुसार मानी जायेगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 नवम्बर 2007

क्रमांक एफ 1/142/भापुसे/2001.—श्री एम. पी. चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 08-10-2007 से 20-10-2007 तक कुल 13 दिवस का मेडिकल अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 21-10-2007 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. [illegible] एम. [illegible] चौधरी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, अ. अ. वि., पुलिस मुख्यालय, रायपुर को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय [illegible] जो [illegible]नवकाश [illegible] प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त कर रहे थे.

3. [illegible]माणित [illegible] जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. के. शुक्ल संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

क्रमांक /क/ भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	ऋषभतीर्थ	0.161	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर जिला-बिलासपुर.	खरीपारा मार्ग पर दमोह नाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती, जिला जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 29 सितम्बर 2007

प्र. क्र. 01/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	झलका प. ह. नं. 21	0.324	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा जिला कबीरधाम.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भागूटोला से बीरुटोला सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनु. अधि. (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 03/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कारेसरा प. ह. नं. 42	0.500	कार्यपालन अभियंता, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कवर्धा जिला कबीरधाम.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मुख्य मार्ग से टाटीकसा सड़क निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनु. अधि. (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 08/अ-82/07-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	पंडरिया	रोहरा प. ह. नं. 12	2.328	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग मुंगेली, जिला-बिलासपुर.	घोघरा व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर से प्रभावित.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पंडरिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 13/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संदर्भ में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं.—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	पेण्डरखी	0.15	मुख्य महाप्रबंधक एस. ई. सी. एल. विश्रामपुर जिला-सरगुजा.	रेहर नदी पर पुल निर्माण के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

रा. प्र. क्र. 14/अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संदर्भ में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	सपकरा	0.24	मुख्य महाप्रबंधक एस. ई. सी. एल. विश्रामपुर जिला-सरगुजा.	रेहर नदी प[illegible]ल [illegible] के पहुँच म[illegible]

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

क्रमांक /क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./05/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संदर्भ में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की धारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)			
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			खसरा नं. (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)		
रायपुर	रायपुर	सेरीखेड़ी प. ह. नं. 112	263/8	0.024	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर.	6 लेन एक्सप्रेस वे हेतु.
			263/3	0.101		
			263/9	0.080		
			263/2	0.202		
			264/22	0.149		
			264/7 264/4 264/19	0.093		
			264/14 264/24	0.206		
			264/8 264/10 264/15 264/26	0.266		
			264/6 264/9 264/11	0.339		
			264/17 264/18	0.218		
			264/2	0.267		
			265/1-3	0.149		
			266	0.101		
			267	1.616		
			270/7	0.202		
			270/20	0.226		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			270/6	0.240		
			270/9	0.240		
			270/10	0.241		
			270/11	0.241		
			270/12	0.058		
			270/13	0.015		
			270/14	0.058		
			270/15	0.058		
			270/16	0.057		
			270/17	0.058		
			270/19	0.043		
			270/4	0.058		
			270/21	0.565		
			270/22	0.244		
			270/1	2.771		
			271/2	0.008		
			541/1	1.454		
			541/38	0.150		
			541/39	0.699		
			540/1	0.161		
			540/3	0.032		
			540/4	0.302		
			541/16	0.470		
			541/54	0.459		
			541/11	0.518		
			519/5	0.760		
			531/2	0.744		
			532/3	0.024		
			534	0.610		
			513/3	0.150		
			519/6	0.072		
			518	0.258		
			519/1	0.324		
			519/4	0.093		
			531/3	0.069		
			532/2	0.004		
			635/4	0.040		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			(1)	(2)		
			633/1	0.660		
			635/1			
			636/2			
			635/2	0.060		
			634/1	0.060		
			638/1	0.081		
			634/2	0.040		
			633/2	1.100		
			636/4			
			634/3	0.040		
			634/6	0.170		
			519/7-8	0.350		
			636/5	0.057		
			635/5	0.202		
			635/6	0.081		
			635/8	0.202		
			638/2	0.760		
			738/6	0.510		
			702	0.328		
			704/4	0.370		
			706/1	0.205		
			705/2	0.113		
			705/4	0.007		
			705/5	0.007		
			699	0.340		
			700	0.243		
			634/8	0.160		
			644	0.100		
			704/10	0.009		
			704/11			
			704/12			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(1)	(2)
706/2-4-5	1.350
706/6	
706/7	
706/8	
706/9	
706/3	
706/15	
706/16	
706/12	
706/13	
706/14	
706/17	
635/3	0.950
635/7	
638/4	0.060
638/5	
योग 106	26.931

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 नवंबर 2007

क्रमांक/4149/अ-82/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुरूर
- (ग) नगर/ग्राम-नारागांव, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
817/1	0.07
815/1	0.07
योग 2	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :- नारागांव जलाशय नहर में अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक 11766/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-कोरबा
(ख) तहसील-कटघोरा
(ग) नगर/ग्राम-जजगी, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.966 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	332/1	0.218
	332/2	0.219
	333/1	0.105
	333/2	0.424
योग	4	0.966

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक -13 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बांत का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-पेण्डरखी, प. ह. नं. 42
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	109/1	0.15
योग	1	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहर नदी पर पुल निर्माण के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 नवम्बर 2007

क्रमांक -14 अ-82/2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-सरगुजा (छ. ग.)
(ख) तहसील-सूरजपुर
(ग) नगर/ग्राम-सपकरा, प. ह. नं. 43
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.24 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	868	0.05
	869/1	0.19
योग	2	0.24

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेहर नदी पर पुल निर्माण के पहुँच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

रा. प्र. क्र./04/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सामरी (कुसमी)
- (ग) नगर/ग्राम-सिविलदाग
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-27.830 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
654/2	0.652
655/2	0.496
664	0.425
663	0.975
235	0.131
492	0.150
493	0.060
655/3	0.626
557	0.200
403	0.030
654/1	0.246
653	0.218
324	0.040
327	0.030
440	0.040
450/1	0.080
562/7	0.405
537	0.182
539	1.291
496	0.085
540	0.445
544	0.040
546	0.437
547	0.607

(1)	(2)
548	0.190
549	0.077
654/3	0.405
655/1	0.479
450/2	0.080
552	1.392
467	0.008
550	0.837
551	0.539
445/1	0.090
445/2	0.080
491/3	0.300
562/2	0.081
564/2	0.656
553	1.295
444	0.141
558	0.514
439	0.060
498	0.260
567	0.235
650/1	0.335
436/2	0.068
554	0.271
601	0.255
659	0.348
568	0.291
667/2	0.137
667/3	0.177
1352/2	0.144
597	0.162
600	0.291
656/1	0.799
665	0.174
563	0.061
566	0.166
495/1	0.072
495/2	0.020
1317/1	0.506
443/1	0.100
555/1	0.031
556/1	0.026
658/1	0.055
661/1	0.150
675/1	0.065
555/2	0.031
556/2	0.026
658/2	0.056

(1)	(2)
661/2	0.150
675/2	0.065
555/3	0.031
556/3	0.026
658/3	0.056
661/3	0.150
675/3	0.065
555/4	0.032
556/4	0.027
658/4	0.056
661/4	0.149
675/4	0.065
666	0.732
651	0.295
660	0.692
435/1	0.020
328/1	0.050
335/1	0.214
474/2	0.161
476/2	0.056
478	0.080
472/1	0.130
1317/2	0.759
1315	0.030
1313	0.370
1323/2	0.182
1326	0.430
1322/1	0.040
1351	0.020
562/4	0.405
1323/1	0.190
328/2	0.050
562/6	0.405
491/1	0.020
491/2	0.030
436/1	0.040
486	0.060
471/1	0.090
474/1	0.080
437	0.030
667/1	0.177
1352/1	0.154
667/4	0.134
562/3	0.284
662/2	0.121
योग 116	27.830

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिविलदाग जलाशय के बांध, डुब क्षेत्र, नहर एवं स्पील चैनल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, कुसमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 27 नवम्बर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-आलवाही, प. ह. नं. 23
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.480 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
60	0.008
130	0.032
62	0.012
63	0.008
64	0.024
134/2	0.012
134/3	0.012
134/4	0.012
129	0.056
120/1	0.032
168	0.012
116	0.012
166	0.012
158	0.012
159	0.016
175	0.020
160	0.012
161	0.012
162	0.012

(1)	(2)
131	0.008
163	0.012
176	0.008
169	0.012
170	0.012
173	0.008
171	0.028
57	0.032
118	0.008
177	0.008
138	0.016
योग 30	0.480

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 1 दिसम्बर 2007

क्रमांक / क/भू-अर्जन/09/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-बस्तर
 (ख) तहसील-कोंडागांव
 (ग) नगर/ग्राम-बोटी कनेरा, प. ह. नं. 25
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.169 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
39/73	0.016
39/12	0.024
39/13	0.008
39/81	0.101
39/38	0.020
योग 5	0.169

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागॉव अथवा कार्यपालन अभियंता - सह - सदस्य सचिव, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना, जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 11 अक्टूबर 2007

प्र. क्र. 01/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम
 (ख) तहसील-कवर्धा
 (ग) नगर/ग्राम-बनखैरा, प. ह. नं. 47
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.264 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
75/1, 76/2	2.264
योग 2	2.264

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सुतियापाट परियोजना के उलट नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 31 अक्टूबर 2007

रा. प्र. क्र. 16 अ/82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम,1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-लडुवा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.602 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	0.211
113/1	0.113
130/2	0.081
117/2	0.097
118/2	0.020
118/3	0.081
119/2	0.117
119/7	0.077
119/10	0.045
119/13	0.032
119/11	0.008
119/12	0.008
123/3	0.073
124/1 ख	0.085
131/2	0.105
131/1	0.101
144	0.109
145/3	0.053
146/1	0.085
148/1	0.101
योग 20	1.602

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन योजना के माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 495/Confdl./2007/II-2-1/2007.— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office ; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division as mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No.	Name & present designation	From	To	Sessions Division	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Arvind Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge.	Raigarh	Bilaspur	Bilaspur	District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri Mahendrapal Singhal, Special Judge under SC & ST (P.A.) Act.	Jagdalpur	Raigarh	Raigarh	District & Sessions Judge.

Shri Chhotelal Singh Tekam, District & Sessions Judge, Bastar at Jagdalpur, in addition to his own work, shall also be the Special Judge under SC & ST (Prevention of Atrocities) Act, Jagdalpur from the date he assumes charge until further orders.

Bilaspur, the 13th November 2007

No. 497/Confdl./2007/II-2-1/2007/II-15-21\2000 (Pt. -IV).— The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), are transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office ; and

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Nirmal Minj, Additional Director, Judicial Officers' Training Institute, High Court of Chhattisgarh.	Bilaspur	Raipur	Raipur	III Additional District & Sessions Judge.
2.	Shri Ravi Shankar Sai, III Additional District & Session s Judge.	Raipur	Balod	Durg	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
3.	Smt. Amrita Sanjay Lal, Legal Advisor, Office of Lokayukta.	Raipur	Mungeli	Bilaspur	Additional District & Sessions Judge.
4.	Shri N. K. S. Thakur, Additional District & Sessions Judge.	Mungeli	Raigarh	Raigarh	III Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
5.	Shri Ravi Shankar Sharma, III Additional District & Sessions Judge.	Durg	Durg	Durg	XI Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).
6.	Smt. Minakashi Gondaley, V Additional District & Sessions Judge.	Durg	Dhamtari	Dhamtari	Additional District & Sessions Judge (Fast Track Court).

Bilaspur, the 14th November 2007

No. 512/Confdl./2007/II-3-48/2007.— In exercise of powers conferred under sub-section (2) of Section 13 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh, with the concurrence of the State Government obtained vide its Order No. 2475 dated 14-03-2007, hereby appoints the following retired Judicial/ Government Officers, as specified in Column No. (2), as Special Judicial Magistrate and posts them at the place as specified in Column No. (3) on last pay-minus-pension basis for a period of one year from the date they assume charge of their office : and

In exercise of powers conferred under sub-section (1) of Section 13 and Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973, the High Court of Chhattisgarh, hereby, confers the powers of Judicial Magistrate First Class alongwith the powers under Section 260 upon the following retired Judicial/ Government Officers in respect to try the cases with shall be transferred to them from time to time in the local area as specified,in Column No. (3) Subject to the said limit and area assigned to them by the Chief Judicial Magistrate of the Respective Revenue District as specified in Column No. (4) with the prior approval of the Sessions Judge concerned from the date they assume charge of their office :-

TABLE

S. No.	Name & Address	Place	Revenue District	Posted as
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Shri B. S. Gupta, (Retired District Judge), A-1, Priyadarshini Nagar, Bilaspur-495001.	Bilaspur	Bilaspur	Special Judicial Magistrate.
2.	Shri B. D. Pradhan, (Retired Additional Collector) at Mahapalli, P. O. Loing, District Raigarh- 496001.	Raigarh	Raigarh	Special Judicial Magistrate.
3.	Shri A. K. Bharat (Retired Joint Collector), D-73, Sector- MIG Devendra Nagar, Raipur.	Durg	Durg	Special Judicial Magistrate.
4.	Shri G. D. Mahire, [Retired Deputy Director (Prosecution)], Pendarakapa Road, Mungeli, P. O. & Tahsil Mungeli, District Bilaspur.	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	Special Judicial Magistrate.
5.	Shri S. A. Behlim, [Retired Deputy Director (Prosecution)], Purana Bazar, Malhargarh, District Mandsaur (M.P.)	Bilaspur	Bilaspur	Special Judicial Magistrate.

Bilaspur, the 14th November 2007

No. 518/Confdl./2007/II-2-72/2001 (Part II).— Pursuant to the Order No. 6264/2169/XXI-B/C.G./07 dated 20-07-2007 issued by the Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs Department, Raipur regarding promotion of Shri Ashok Kumar Sahu, Ad-hoc Additional District Judge as District Judge (Entry Level), the original [illegible]rity of Shri [illegible]k Kumar Sahu, District Judge (Entry Level) presently posted as X Additional District and Ses- Judge (F. [illegible] Durg, is hereby restored by placing his name below the name of Shri Kanwar Lal Charyani, [illegible]ntly posted [illegible] [illegible]itional District & Sessions Judge, Surajpur and above the name of Shri Jaideep Vijay Nimonkar, [illegible]y posted as [illegible] Additional District and Sessions Judge, Bilaspur, in the gradation list of District Judges (Entry [illegible]) in Higher Judicial Service.

बिलासपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक 7973/तीन-22-3/2007 (खैरागढ़-डोंगरगढ़).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुयें उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़ अपने घोषित कार्यस्थल खैरागढ़ के अतिरिक्त डोंगरगढ़ में भी उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में डोंगरगढ़ तहसील क्षेत्र से उत्पन्न सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठक करेंगे.

उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 1005/तीन-22-3/2000 (राजनांदगांव-डोंगरगढ़), दिनांक 08-02-2007 एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं.

No.7973/III-22-3/2007 (Khairagarh-Dongargarh).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Additional District and Sessions Judge, Khairagarh in addition to his place of sitting at Khairagarh declared shall also sit at Dongargarh to dispose of Civil and Criminal Cases arising out of Dongargarh Tahsil on such dates as may be approved by the High Court from time to time.

The notification No. 1005/III-22-3/2000 (Rajnandgaon- Dongargarh), dated 08-02-2007 earlier issued by the High Court is hereby cancelled.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्रमांक 7997/तीन-6-7/2000 .— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अपनी अधिसूचना क्रमांक 5019 तीन-6-7/2005 दिनांक 19 अक्टूबर 2005 को अतिष्ठित करते हुये उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री रोहित सिंह तंवर, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना क्रमांक डी-2262/21-ब/छ. ग., दिनांक 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधी जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, कि जांच एवं विचारण हेतु (सी. बी. आई. मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालयों का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा.

No.7997/III-6-7/2000.— In exercise of powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), and in Supersession of its Notification No. 5019/III-6-7/2005, dated 19 October 2005 the High Court of Chhattisgarh, appoints Shri Rohit Singh Tanwar, Additional Chief Judicial Magistrate, Raipur to be the Presiding Officer of the Court of Special Judicial Magistrate, (specially for C. B. I. Cases) established by the Government of Chhattisgarh vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. D/2262/21-B/C. G., dated 19th September 2001 for the whole areas of Chhattisgarh State for enquiry and trial of offences investigated by the Special Police Establishment, Central Bureau of Investigation under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 except those specified in Chapter-III of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988) with effect from the date of his assumption of charge of his office.

The Head Quarter of the Court shall be at Raipur.

बिलासपुर, दिनांक 15 नवम्बर 2007

क्रमांक 8002/तीन-22-3/2007 (भाटापारा-बलौदा बाजार).— छत्तीसगढ़ सिविल कोर्ट्स एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर एतद्द्वारा निर्देशित करता है कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भाटापारा अपने घोषित कार्यस्थल भाटापारा के अतिरिक्त बलौदा-बाजार में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तिथियों में सिविल एवं अपराधिक प्रकरणों की सुनवाई हेतु बैठक करेंगे.

Bilaspur, the 15th November 2007

No.8002/III-22-3/2007 (Bhatapara-Baloda-Bazar).— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh hereby directs that the Additional District and Sessions Judge, Bhatapara in addition to his declared place of sitting at Bhatapara shall also sit at Baloda-Bazar to dispose of Civil and Criminal Cases on such dates as may be approved by the District & Sessions Judge, Raipur from time to time.

बिलासपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2007

क्रमांक 8115/तीन-10-8/2000 (V) .— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 4670/तीन-10-8/2000 भाग-चार, दिनांक 28 सितम्बर 2006 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ निर्देश देता है कि छत्तीसगढ़ में प्रत्येक सिविल जिला के लिये, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर की अधिसूचना क्रमांक क. फा.-1-1/2003/9735/21-ब/2007, दिनांक 16-11-2007 द्वारा स्थापित अपर जिला न्यायाधीश, सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग तथा सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय दिनांक 01-12-2007 से नीचे दी गई सारणी में प्रत्येक सिविल जिले के सामने विर्निदिष्ट स्थानों पर बैठेंगे -

क्र.	सिविल जिले के नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या	बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बस्तर (जगदलपुर)	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	3	1. जगदलपुर	6
				2. नारायणपुर	1	2. कोण्डागांव	1
						3. नारायणपुर	1
2.	बिलासपुर	1. बिलासपुर	7	1. बिलासपुर	5	1. बिलासपुर	9
		2. मुंगेली	1	2. मुंगेली	1	2. पेण्ड्रारोड	1
		3. पेण्ड्रारोड	1	3. पेण्ड्रारोड	1		
3.	दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	1	1. दंतेवाड़ा	2
				2. सुकमा	1	2. बीजापुर	1
				3. बीजापुर	1		
4.	धमतरी	1. धमतरी	1	1. धमतरी	2	1. धमतरी	2
						2. कुरूद	1
5.	दुर्ग	1. दुर्ग	6	1. दुर्ग	3	1. दुर्ग	9
		2. बालौद	1	2. बालौद	1	2. बालौद	2
		3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	1	3. बेमेतरा	2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6.	जांजगीर-चांपा	1. जांजगीर	1	1. जांजगीर	2	1. जांजगीर	2
		2. सक्ती	1	2. सक्ती	1	2. सक्ती	1
7.	जशपुर	1. जशपुर	1	1. जशपुर	2	1. जशपुर	1
						2. पत्थलगांव	1
8.	कबीरधाम (कवर्धा)	-	-	1. कवर्धा	3	1. कवर्धा	1
9.	कोरबा	1. कटघोरा	1	1. कोरबा	2	1. कोरबा	1
				2. कटघोरा	1	2. कटघोरा	1
10.	कोरिया (बैकुंठपुर)	1. मनेन्द्रगढ़	2	1. बैकुण्ठपुर	2	1. बैकुंठपुर	1
				2. मनेन्द्रगढ़	1	2. मनेन्द्रगढ़	1
11.	महासमुंद	1. महासमुंद	2	1. महासमुंद	3	1. महासमुंद	2
						2. सरायपाली	1
12.	रायगढ़	1. रायगढ़	1	1. रायगढ़	2	1. रायगढ़	4
		2. सारंगढ़	1			2. धर्मजयगढ़	1
						3. घरघोड़ा	1
						4. सारंगढ़	1
13.	रायपुर	1. रायपुर	8	1. रायपुर	6	1. रायपुर	12
		2. बलौदा बाजार	2	2. बलौदा बाजार	1	2. बलौदा बाजार	1
		3. भाटापारा	1	3. गरियाबंद	1	3. गरियाबंद	1
		4. गरियाबंद	1			4. भाटापारा	1
14.	राजनांदगांव	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	2	1. राजनांदगांव	3
		2. खैरागढ़	1	2. अम्बागढ़ चौकी	1	2. डोंगरगढ़	1
				3. डोंगरगढ़	1	3. खैरागढ़	1
				4. खैरागढ़	1		
15.	सरगुजा (अंबिकापुर)	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	2	1. अंबिकापुर	5
		2. सूरजपुर	1	2. रामानुजगंज	1	2. प्रतापपुर	1
				3. सूरजपुर	1	3. सूरजपुर	1
16.	उत्तर बस्तर (कांकेर)	1. कांकेर	1	1. कांकेर	2	1. कांकेर	1
						2. भानुप्रतापपुर	1

Bilaspur, the 19th November 2007

No. 8115/III-10-8/2000 (V).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958) and in supersession of its previous Notification No. 1670 III-10-8/2000 Part-IV, Dated 28th September 2006, the High Court hereby directs that the Courts of Additional District Judges, Civil Judges Class-I and Civil Judges Class-II as established by the Law Department Notification No. F-1-[illegible] 2003/9735/21-B/07 dated 16-11-2007 for each Civil District in Chhattisgarh shall sit with effect from the 1st December 2007 at the places specified against them in the table below :-

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges Class-I		Court of Civil Judges Class-II	
		Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts	Place of Sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bastar (Jagdalpur)	1. Jagdalpur	3	1. Jagdalpur 2. Narayanpur	3 1	1. Jagdalpur 2. Kondagaon 3. Narayanpur	6 1 1
2.	Bilaspur	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra-Road	7 1 1	1. Bilaspur 2. Mungeli 3. Pendra Road	5 1 1	1. Bilaspur 2. Pendra Road	9 1
3.	Dakshin Basatar Dantewara	1. Dantewara	1	1. Dantewara 2. Sukma 3. Bijapur	1 1 1	1. Dantewara 2. Bijapur	2 1
4.	Dhamtari	1. Dhamtari	1	1. Dhamtari	2	1. Dhamtari 2. Kurud	2 1
5.	Durg	1. Durg 2. Balod 3. Bemetra	6 1 1	1. Durg 2. Balod 3. Bemetra	3 1 1	1. Durg 2. Balod 3. Bematra	9 2 2
6.	Janjgir-Champa	1. Janjgir 2. Sakti	1 1	1. Janjgir 2. Sakti	2 1	1. Janjgir 2. Sakti	2 1
7.	Jashpur	1. Jashpur	1	1. Jashpur	2	1. Jashpur 2. Pathalgaon	1 1
8.	Kabeerdham (Kawardha)	-	-	1. Kawardha	3	1. Kawardha	1
9.	Korba	1. Katghora	1	1. Korba 2. Katghora	2 1	1. Korba 2. Katghora	1 1
10.	Koriya (Baikunthpur)	1. Manendragarh	2	1. Baikunthpur 2. Manendragarh	2 1	1. Baikunthpur 2. Manendragarh	1 1
11.	Mahasamund	1.Mahasamund	2	1. Mahasamund	3	1. Mahasamund 2. Saraipali	2 1
12.	Raigarh	1.Raigarh 2. Sarangarh	1 1	1. Raigarh	2	1. Raigarh 2. Dharamjaigarh 3. Gharghora 4. Sarangarh	4 1 1 1
13.	Raipur	1.Raipur 2. Balodabazar 3. Bhatapara 4. Gariaband	8 2 1 1	1. Raipur 2. Balodabazar 3. Gariaband	6 1 1	1.Raipur 2. Balodabazar 3. Bhatapara 4. Gariaband	12 1 1 1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14.	Rajnandgaon	1. Rajnandgaon 2. Khairagarh	2 1	1. Rajnandgaon 2. Ambagarh-Chowki 3. Dongargarh 4. Khairagarh	2 1 1 1	1. Rajnandgaon 2. Dongargarh 3. Khairagarh	3 1 1
15.	Surguja (Ambikapur)	1. Ambikapur 2. Surajpur	2 1	1. Ambikapur 2. Ramanujganj 3. Surajpur	2 1 1	1. Ambikapur 2. Pratappur 3. Surajpur	5 1 1
16.	Uttar Bastar (Kanker)	1. Kanker	1	1. Kanker	2	1. Kanker 2. Bhanupratappur	1 1

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.